प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'आठ'

[9/12/2016]

परिशिष्ट - (1)

प्रश्न सं. [क्र. 1862]

पोस्टमैट्रिक छात्रावासों में अध्ययनरत/निवासरत अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को अंग्रेजी विषय की कोचिंग योजना ।

---

(1) पात्रता

1.1 प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे छात्र-छात्राएं जो कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण कक्षा 11 वीं अथवा उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत हों एवं विभागीय पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत हों, इस योजना के लिये पात्र होगें ।

(2) कोचिंग के वित्तीय मापदण्ड :-

योजना का क्रियान्वयन निम्नांकित मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा :-

2.1 विषय विशेषज्ञों को 200/- प्रति काल खण्ड के मान से मानदेय दिया जावेगा । काल खण्ड की न्यूनतम अवधि एक घंटा होगी । (माह में कम से कम 20 कालखण्ड लिये जाना आवश्यक होगा)

2.2 यह कोचिंग संबंधित छात्रावास में ही संचालित की जावेगी ।

2.3 प्रति छात्र-छात्रा स्टेशनरी और पाठ्य सामग्री क्रय करने हेतु अधिकतम 500/- रूपये व्यय किया जा सकेगा । यह व्यय एक शैक्षणिक सत्र (10 माह) हेतु होगा ।

2.4 यह राशि छात्र-छात्राओं के उनके बैंक एकाउण्ट में बैंक के माध्यम जमा कर भुगतान की जावेगी । इस राशि से छात्र-छात्रायें आवश्यकतानुसार स्टेशनरी एवं पाठ्य सामग्री का क्रय कर सकेगें । पाठ्य सामग्री में एक बड़ा शब्दकोष (अंग्रेजी), एक ग्रामर की पुस्तक, एक इंग्लिश स्पीकींग कोर्स की पुस्तक क्रय करना आवश्यक होगा ।

निरंतर.....2/-

2.5 कोचिंग व्यवस्था । जुलाई अथवा छात्र-छात्राओं के छात्रावास में वास्तविक रूप से प्रवेश लेने की तिथि से प्रारंभ होगी ।

§3§ प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों का चयन :-

3.1 इस हेतु जिला स्तर पर शिक्षकों के चयन हेतु एक समिति का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नानुसार अध्यक्ष/सदस्य होंगें :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
3. प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय	सदस्य
4. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक	सदस्य सचिव

3.2 उक्त समिति निम्न आधारों पर प्राथमिकता के क्रम में योग्य एवं विषय विशेषज्ञ व्याख्याता का चयन करेगी ।

1. स्थानीय उत्कृष्ट कालेज के विषय विशेषज्ञों में से योग्यता के आधार पर चयन किया जा सकेगा ।
2. स्थानीय कालेज के विषय विशेषज्ञ सहायक प्राध्यापक स्थानीय आदिम जाति कल्याण व शिक्षा विभाग के उत्कृष्ट शालाओं के योग्य व अनुभवी विषय विशेषज्ञों में से चयन किया जावेगा ।
3. प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों व कोचिंग संस्थाओं के योग्य व अनुभवी विषय विशेषज्ञों को लिया जा सकेगा ।

§4§ मूल्यांकन

योजना का मूल्यांकन आयुक्त, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यालय व्दारा समय-समय पर कराया जावेगा ।

§5§ प्रतिवेदन

सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, प्रशिक्षण उपरांत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन सत्र के अन्त में आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगें ।

निरंतर....3/-

(6) **व्यय लेखा-जोखा :-**

योजना के संबंध में मदवार व्यय का विस्तृत लेखा जोखा संबंधित छात्रावास अधीक्षक एवं सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण व्दारा रखा जावेगा । कार्योपरांत राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय को भेजा जावेगा ।

(7) **वित्तीय व्यवस्था :-**

उक्त योजना का व्यय मांग संख्या-41 मुख्यशीर्ष 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना राज्य आयोजना 277 शिक्षा 6502 छात्रावास 01 वेतन 02 मजदूरी अंतर्गत विकलनीय होगा ।

(सही/-)
(के0एस0 मारण)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग.

पृष्ठा. क्र. एफ 12-24/2007/दो/पच्चीस, भोपाल, दिनांक 3/6/08

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण वि.
2. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान संस्थान, मध्यप्रदेश भोपाल.
3. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश भोपाल.
4. आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश भोपाल.
5. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं म. प्र. भोपाल.
6. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश.
7. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय की ओर दो प्रतियों में आगामी राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु ।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/पदेन अपर आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.
9. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग. मध्यप्रदेश.

अपर सचिव.